संख्या- 129 /2020/ 530 /सात-न्याय-9(बजट)-2020-800(6)/2017 टी0सी0-1

प्रेषक ,

जे0पी0 सिंह-।।
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई 2020

विषय- विभिन्न जनपदों में ग्राम न्यायालयों की क्रियाशील करने के लिए मरम्मत कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 120 /2020/ 601 /सात-न्याय-9(बजट)-2020-800(6)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 22 जुलाई, 2020 के साथ संलग्नक में उल्लिखित 12 जनपदों में ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील करने के लिए मरम्मत कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था से प्राप्त कुल 12 आगणनों की आंकलित लागत रू0 233.06 लाख (रू0 दो करोड तैंतीस लाख छ: हजार मात्र) (जीएसटी सहित) की धनराशि पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रू0 233.06 लाख (रू0 दो करोड तैंतीस लाख छ: हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न 11 जनपदों में ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील करने के लिए मरम्मत कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था से प्राप्त कुल 11 आगणनों की आंकलित लागत रू0 212.90 लाख (जीएसटी सहित) की धनराशि पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ रू0 212.90 लाख (रूपया दो करोड बारह लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) जनपद न्यायालयों में ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न मरम्मत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित है। अत: स्वीकृत धनराशि आहरित करके संलग्न सूची के अनुसार संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य में जी0एस0टी0 की गणना लोक निर्माण अनुभाग-10 के शासनादेश दिनांक 10.12.2019 में की गयी व्यवस्था के अनुरूप करेंगे ।

(3) कार्य योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि बिना व्यय वित्त समिति के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा । परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करनेहेतु वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सामग्री एवं वस्तुओं/ सेवाओं का क्रय गर्वन्मेन्ट- ई-मार्केटप्लेस (जेम)/ई-टेन्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें, चूॅकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं उनके शिडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा ।

(8) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी । निर्माण कार्यकी गुणवत्ता बनी रहे तथा कार्य की मापों/मात्राओं आदि की द्विरावृति की सम्भावना किसी स्तर पर न हो इसका दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(9) लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा ।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(11) प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-171/दस-2008-244-5/2008, दिनांक 21 जनवरी, 2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी /संबंधित उत्तरदायी होंगे ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-00-800-अन्य व्यय-05-विभागीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान-00-29 अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निर्गत दिशा निर्देशों एवं प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह-।।)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 129 /2020/ 530 (1) /सात-न्याय-9(बजट)-2020-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
4- निजी सचिव, अध्यक्ष, अवस्थापना, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ ।
5- संबंधित जनपद न्यायाधीश।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ (मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से)
8- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- संलग्न सूची के अनुसार संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनु0-12
11- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(अजय कुमार शाही)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 129/ 2020/ 530 /सात-न्याय-9 (बजट)-2020 -800(6)/2017 टी0सी-1
दिनांक 27 जुलाई ,2020 का संलग्नक

(रूपये लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	मूल आगणन	पी0एफ0ए0डी द्वारा आकलित धनराशि (ज0एस0टी0 सहित)
1	2	3	4	5
1	ग्राम न्यायालय ग्राम अल्हैपुर, परगाना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर में प्रस्तावि भवन के जीर्णोद्धार का कार्य	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बिजनौर	12.53	12.16
2	जनपद महराजगंज के नौतनवा तहसील परिसर में ग्राम न्यायालय का निर्माण	निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर वृत्त महराजगंज	28.07	21.70
3	तहसील निचलौल में ग्राम न्यायालय संचालन हेतु तहसील निचलौल मे स्थित पुराने भवन में ग्राम न्यायालय संचालन हेतु।	निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर वृत्त महराजगंज	65.26	57.68
4	ग्राम न्यायालय हण्डिया भवन, प्रयागराज का मरम्मत कार्य।	इलाहाबाद खण्ड, (4 के0एम0) उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद	11.59	10.65
5	ग्राम न्यायालय पूरनपुर, पीलीभीत के अन्तर्गत अवस्थापना का कार्य	प्रान्तीय खण्ड, बदायूँ / पीलीभीत वृत्त लोक निर्माण विभाग उ0प्र0	19.50	17.82
6	तहसील सैफई जनपद इटावा में ग्राम न्यायालय को क्रियाशील बनाये जाने हेतु सम्परिवर्तन का कार्य	प्रान्तीय खण्ड, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग इटावा	5.58	5.16
7	तहसील चकरनगर, जनपद इटावा में ग्राम न्यायालय को क्रियाशील बनाये जाने हेतु सम्परिवर्तन का कार्य	निर्माण खण्ड-1 , इटावा वृत्त उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग इटावा	8.73	8.92
8	जखानियाँ तहसील जनपद गाजीपुर में परित्यक्त पुरानी तहसील भवन को ग्रामीण न्यायालय बनाने हेतु मरम्मत एवं सुधार का कार्य	प्रान्तीय खण्ड, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग गाजीपुर	57.63	43.98
9	विकास खण्ड लालगंज, मीरजापुर में ब्लाक परिसर में ग्राम न्यायालय भवन की स्ळा०पना	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग/ इण्डियन रोड कांग्रेस की पूर्ण विशिष्टियों के अनुसार	17.00	14.58
10	तहसील परिसर घेरावल, सोनभद्र में वैकल्पिक रूप से ग्राम न्यायालय संचालित किये जाने हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र	4.52	4.12
11	जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील बनाये जाने हेतु न्यायालय कक्ष के सौन्दर्यीकरण का कार्य	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग प्रतापगढ़	18.06	17.03
	योग-		248.47	212.90
		(रूपये दो करोड़ बारह लाख नब्बें हजार मात्र)		

(अजय कुमार शाही)
विशेष सचिवच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।